लोक संवाद

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का तीन दिवसीय गैर आवासीय

प्रशिक्षण मॉड्यूल सह हस्त पुस्तिका

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना एवं
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना
द्वारा विकसित

unicef
for every child

विद्यालय शिक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य

(क) विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करना।

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग।

(ग) विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6–14 आयुवर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना तथा बच्चों की शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में सहयोग करना।

(घ) सरकार के नियमों के अनुसार, विद्यालय का भवन निर्माण एवं भवन के रख–रखाव में जन अंशदान प्राप्त करना।

(ङ) नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना।

(च) यह ध्यान रखना कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाय।

(छ) शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन देना।

(ज) प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 (दो) माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिये गए दिशा–निर्देश के आलोक में तैयार की जायेगी, जिसमें विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना तथा विद्यालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुदानों के व्यय के भी प्रस्ताव का विवरण होगा। समिति द्वारा तैयार की गई विद्यालय विकास योजना को माता–पिता एवं अभिभावकों की सामान्य निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अनुमोदित विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रेषित की जायगी।

(झ) समय–समय पर आवश्यकतानुसार समिति को अन्य कार्य भी सौंपे जा सकेंगे।

(QR Code_VSS Notification)

विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। शिक्षा समिति के सभी सदस्यों का ई–शिक्षाकोष पर निबंधन अनिवार्य रूप से करा दिया जाय अन्यथा शिक्षा समिति मान्य नहीं होगा।

दिशाबोध

श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा०प्र०से०, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार
श्री मयंक वरवड़े, भा०प्र०से०, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार

समन्वयक

डॉ. उदय कुमार उज्ज्वल, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार

विशेष सहयोग

डॉ. पल्लव कुमार, राज्य सलाहकार, यूनिसेफ बिहार फील्ड ऑफिस, बिहार
धर्मवीर कुमार सिंह, राज्य सलाहकार, यूनिसेफ बिहार फील्ड ऑफिस, बिहार

डिजाइन

संजीव कुमार, +2 प्रोजेक्ट नवल किशोर बालिका उच्च विद्यालय मसौढ़ी, पटना

मार्गदर्शिका निर्माण समूह

संदीप कुमार, मध्य विद्यालय भरहोपुर, एकमा, सारण
नवनीत विमल, मध्य विद्यालय आदर्शग्राम टीकारामपुर, सदर, मुंगेर
हरिदास शर्मा, राजकीयकृत म० वि० डहरक, रामगढ़, कैमूर
चंचला तिवारी, उ० उ० मा० वि० बसाढ़ी सदर, छपरा, सारण
कमलेश कुमार, सर्वोदय मध्य विद्यालय नोखा, नोखा, रोहतास
शिव कुमार, उ० म० वि० नारायणपुर, बिक्रम, पटना
शशिधर उज्ज्वल, प्राथमिक विद्यालय घनी बिगहा, डिहरी, रोहतास
नरेन्द्र कुमार, हरिनारायण +2 उच्च विद्यालय शाहपुर पट्टी, भोजपुर
अनिल कुमार सिंह, +2 आदर्श बालिका उ० मा० वि० रामगढ़, रामगढ़, कैमूर
सौरभ सुमन, +2 ल० ना० ल० ना० प्रोजेक्ट बालिका उच्च वि०, त्रिवेणीगंज, सुपौल
सिकेंद्र कुमार सुमन, न्यू प्रा० वि० तरहनी, कुदरा, कैमूर
रंजन कुमार, राजकीयकृत म० वि० बीहट, बरौनी, बेगूसराय
केशव कुमार, रा० बु० वि० बखरी, मुरौल, मुजफ्फरपुर
अमितेश कुमार, रा० बु० वि० रेपुरा, सकरा, मुजफ्फरपुर
आस्था दीपाली, +2 रा० उ० मा० वि० कुढ़नी, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर
अनुपमा प्रियदर्शनी, मा० वि० दुधाहन, रघुनाथपुर, सीवान
मनीष कुमार, उ० वि० लरौली, लरौली, गोपालगंज

अभियान गीत - ले मशालें चल पड़े हैं

ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के।
अब अँधेरा जीत लेंगे, लोग मेरे गाँव के।

पूछती है झोपड़ी और, पूछते हैं खेत भी।
कब तलक लूटते रहेंगे, लोग मेरे गाँव के।
ले मशालें चल पड़े हैं .....

नया सूरज अब उगेगा, देश के हर गाँव में,
अब इकट्ठे हो चले हैं, लोग मेरे गाँव के।
ले मशालें चल पड़े हैं.....

चीखती है हर रूकावट, ठोकरों की मार से।
बेड़ियाँ खनका रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।
ले मशालें चल पड़े हैं.....

देखों यारों जो सुबह लगती है फीकी आज तक।
नया रंग उसमें भरेंगे, लोग मेरे गाँव के।
ले मशालें चल पड़े हैं.....

ज्ञान का दीपक जलगा, देश के हर गाँव में।
रौशनी फैला रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।
ले मशालें चल पड़े हैं .....

बिना पढ़े कुछ भी यहाँ, मिलता नहीं यह जानकर।
अब पढ़ाई कर रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।
ले मशालें चल पड़े हैं.....

— बल्ली सिंह चीमा

सन्देश

सुनील कुमार

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण,

बिहार में विद्यालयी शिक्षा के विकास में सामुदायिक सहभागिता का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण, समृद्ध और प्रेरणादायी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के आलोक में गठित विद्यालय शिक्षा समितियों ने विगत वर्षों में एक स्वर्णिम यात्रा पूर्ण की है। यह यात्रा राज्य के हजारों विद्यालयों की व्यवस्था को सशक्त और सुचारु बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि सिद्ध हुई है।

हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि शिक्षा समितियों ने न केवल विद्यालयों के संचालन में सराहनीय योगदान दिया है, बल्कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, आधारभूत संरचनाओं के विकास तथा समुदाय को विद्यालयों से जोड़ने में भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। यह आप सभी के सतत परिश्रम, निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रतिफल है, जिसके चलते आज बिहार का शैक्षिक परिदृश्य सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो रहा है।

वर्त्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि हम नवाचारों और तकनीकी विकास को अपनाते हुए विद्यालयों को ज्ञान के समग्र केंद्रों के रूप में रूपांतरित करें। ऐसे केंद्र, जहाँ प्रत्येक बालक–बालिका अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सीख सकें, बढ़ सकें और आत्मनिर्भर नागरिक बन सकें।

आवश्यकता है कि अपने अनुभवों से सीखते हुए और भविष्य की अपेक्षाओं के अनुरूप आप अपनी भूमिका को और भी अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस प्रेरणा को आत्मसात करते हुए अपने विद्यालयों को उत्कृष्टता की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अग्रसर रहेंगे। आपका यह प्रयास न केवल बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा, बल्कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

आप सभी को इस पुण्य कार्य हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है, आप अपनी ऐतिहासिक भूमिका को निरंतर प्रभावी ढंग से निभाते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

सुनील कुमार
मंत्री
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

सन्देश

डॉ. एस. सिद्धार्थ

विद्यालय शिक्षा समिति के सम्मानित सदस्यगण,

बिहार में विद्यालयी शिक्षा के विकास में सामुदायिक योगदान की परंपरा अत्यंत गौरवशाली रही है। आजादी से पहले और उसके प्रारंभिक दशकों में, जब शिक्षा का पूरा दायित्व सरकार के हाथों में नहीं था, तब जागरूक अभिभावकों और समाज के सक्रिय नागरिकों ने बच्चों की शिक्षा के लिए पहल की। उन्होंने विद्यालयों की स्थापना, भवन निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके वेतन आदि की व्यवस्था अपने संसाधनों से की यह सामुदायिक सहभागिता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसने बिहार में शिक्षा की मजबूत नींव रखी।

आज की विद्यालय शिक्षा समितियाँ उसी परंपरा की उत्तराधिकारी हैं। आपने अपने समर्पण, श्रम और प्रयास से विद्यालयों के संचालन, सुधार और बच्चों की शिक्षा में सराहनीय योगदान दिया है। यह एक सशक्त माध्यम बना है, जिसने शिक्षा को समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है।

वर्तमान में, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत आपके लिए एक उपयोगी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गई है, जिसे विषय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा विकसित किया गया है। यह मार्गदर्शिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रुपरेखा, 2023 (NCF) को आत्मसात करते हुए आपकी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से समझने और निभाने में सहायक होगी। यह प्रशिक्षण आपको शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों और नवाचारों से भी परिचित कराएगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने विद्यालयों को शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्रों में बदलने हेतु अपना अमूल्य योगदान देंगे। आपका यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी प्रेरणा बनेगा।

शुभकामनाओं सहित,

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

सन्देश

मयंक वरबड़े

विद्यालय शिक्षा समिति के सम्मानित सदस्यगण,

इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है, जो हम सब मिलकर बिहार के शिक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में रखते हैं।

विद्यालय केवल एक भवन नहीं होता वह एक विचार होता है, एक समुदाय का सपना होता है, जहाँ आने वाली पीढ़ियाँ जीवन की पहली पाठशाला से जुड़ती हैं। इनके सपने को दिशा देने, आकार देने, और जीवंत बनाए रखने का कार्य विद्यालय शिक्षा समितियाँ करती हैं। ये समितियाँ हमारे विद्यालयों के प्रशासन, विकास और पारदर्शिता की रीढ़ हैं।

आपका योगदान कागजी बैठकों तक सीमित नहीं है बल्कि आप वह सेतु हैं, जो विद्यालय को समाज से जोड़ता है। जब आप विद्यालय के निर्णयों में भाग लेते हैं, तो आप न केवल प्रशासन में सहभागिता निभाते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे भेदभाव से परे, रुकावटों से मुक्त।

आज जब हम 21वीं सदी के प्रतिस्पर्धी और नवाचार–प्रधान युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्यकता है। तकनीक, मूल्यपरक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, आपदा सक्षमता यह सब अब शैक्षिक विमर्श के अनिवार्य पहलू बन चुके हैं। ऐसे में विद्यालय शिक्षा समितियों का दायरा और दायित्व दोनों ही बढ़े हैं। यह प्रशिक्षण कार्यशाला इन्हीं नए दायित्वों को समझने, अपनाने और प्रभावी ढंग से निभाने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस प्रशिक्षण को केवल एक कार्यक्रम न मानें, बल्कि इसे एक संभावना के रूप में देखें एक ऐसा अवसर, जो आपके नेतृत्व को और अधिक समृद्ध कर सकता है, और आपके विद्यालय को एक ऐसा स्थान बना सकता है जहाँ हर बच्चा न केवल पढ़े, बल्कि सपने देखे, सोच सके और अपने भीतर की क्षमताओं को पहचान सके।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हम आशा करते हैं कि आप इस नई यात्रा के सहभागी बनेंगे और अपने योगदान से बिहार के शिक्षा के भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बनाएँगे।

सादर,

मयंक वरबड़े, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना

सन्देश

डॉ उदय कुमार उज्ज्वल

विद्यालय शिक्षा समिति के सम्मानित सदस्यगण,

आप सभी को हार्दिक अभिनंदन।

विद्यालय शिक्षा समिति किसी भी स्कूल की रीढ़ होती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक साझेदारी है विद्यालय, समुदाय और अभिभावकों के बीच की। आप सभी समिति सदस्य अपने–अपने गाँव और मोहल्ले में शिक्षा के प्रहरी हैं, जो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं।

आपकी भूमिका सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने, शिक्षकों का सहयोग करने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आपकी भागीदारी से ही स्कूल जन–जन से जुड़ता है। जब माता–पिता, शिक्षक और समाज एक साथ आते हैं, तभी शिक्षा में असली परिवर्तन आता है। आपकी जागरूकता, सक्रियता और नेतृत्व से हमारा विद्यालय न केवल एक शिक्षण स्थल बनेगा, बल्कि एक प्रेरणास्थल भी।

आइए, हम सभी मिलकर अपने स्कूलों को ऐसा स्थान बनाएं जहाँ हर बच्चा सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करे और अपने सपनों की ओर निडर होकर बढ़ सके।

आपकी सेवा, सहभागिता और संकल्प को नमन।

धन्यवाद।

डॉ उदय कुमार उज्ज्वल
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मीडिया संभाग)
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना

विद्यालय शिक्षा समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल (3 दिवसीय)

दिवस 1				
सत्र	सत्र का समय	सत्र का नाम	सत्र का उद्देश्य	प्रशिक्षकों हेतु निर्देश
	10.00 – 10.30	रजिस्ट्रेशन एवं चेतना सत्र		
प्रथम	10.30 – 11.20	परिचय सत्र एवं प्री-टेस्ट	• प्रतिभागी एक-दूसरे को जानें • Role Play	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	चाय ब्रेक (11.20 – 11.30)			
द्वितीय	11.30 – 01.00	मेरे सपनों का विद्यालय	• Case Study • NEP 2020 और NCF 2023 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय की परिकल्पना	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका – गतिविधि			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
	भोजनावकाश (01.00 – 02.00)			
तृतीय	02.00 – 03.00	विद्यालय शिक्षा समिति – एक परिचय	• औचित्य • संरचना • चयन प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी • बैठक • **विघटन और पुनर्गठन**	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
चतुर्थ	03.00 – 04.30	विद्यालय शिक्षा समिति – कार्य एवं दायित्व	• सहयोग • अनुश्रवण • उपलब्ध निधि का उचित उपयोग • निगरानी	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
	चाय ब्रेक (04.30 – 04.40)			
	फीडबैक (04.40 – 05.00)			

दिवस 2				
सत्र	सत्र का समय	सत्र का नाम	सत्र का उद्देश्य	प्रशिक्षकों हेतु निर्देश
	10:00 - 10:30	चेतना सत्र एवं पिछले दिवस की पुनरावृत्ति		
प्रथम	10.30 - 11.20	योजना की जानकारी	• मुख्यमंत्री पोशाक योजना • पी.एम. पोषण योजना • अन्यान्य	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			

	चाय ब्रेक (11.20 – 11.30)			
द्वितीय	11.30 – 12.30	अपने विद्यालय को जानें		
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
	भोजनावकाश (12.30 – 01.30)			
तृतीय एवं चतुर्थ	01.30 – 05.00	अपने – अपने विद्यालय का भ्रमण		
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
दिवस 3				
सत्र	सत्र का समय	सत्र का नाम	सत्र का उद्देश्य	प्रशिक्षकों हेतु निर्देश
	10:00 - 10:30	चेतना सत्र एवं पिछले दिवस की पुनरावृत्ति		
प्रथम	10.30 -11.20	अपने – अपने विद्यालय के संबंध में चर्चा	अनुभव साझा करना	
	सामग्री – भरा हुआ प्रपत्र (चेकलिस्ट), चॉक, डस्टर, इत्यादि			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
	चाय ब्रेक (11.20 – 11.30)			
द्वितीय	11.30 – 01.00	विद्यालय विकास योजना - परिचय एवं निर्माण		
	सामग्री – विद्यालय विकास योजना प्रपत्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
	भोजनावकाश (01.00 – 02.00)			
तृतीय	02.00 – 03.30	बैगलेस सुरक्षित शनिवार में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका	• सुरक्षित शनिवार • अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			
	चाय ब्रेक (03.30 – 03.40)			
चतुर्थ	03.40 – 05.00	समापन	• पोस्ट टेस्ट • फीडबैक • प्रमाण पत्र वितरण	
	सामग्री – चार्ट पेपर, विडियो, चित्र			
	प्रक्रिया – इस सत्र को कराने की विधि / तरीका			
	मूल्यांकन / फीडबैक – कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा			

प्रशिक्षण के संदर्भ में मुख्य बातें

प्रशिक्षण का उद्देश्य:–

- विद्यालय शिक्षा समिति को उनके कार्य एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना एवं जिम्मेदारी का भाव विकसित करना।
- शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जाने वाले योजनाओं एवं विद्यालयों को दी जाने वाली अनुदानों के बेहतर एवं समुचित उपयोग की जानकारी प्रदान करना।

प्रशिक्षण की रणनीति

- ✓ तीन दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण मॉड्यूल विद्यालय/कॉम्प्लेक्स स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
- ✓ विद्यालय शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए।
- ✓ प्रशिक्षण हेतु प्रखंडवार सारणी तैयार की जाए, जिससे अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन में सुविधा रहे।
- ✓ प्रशिक्षक संबंधित विद्यालयों के आंकड़े जैसे– उपस्थिति, भवन की उपलब्धता, पीने के पानी की व्यवस्था आदि एकत्रित करें, ताकि प्रशिक्षण के दौरान इनका विश्लेषण कर समिति को संवेदनशील बनाया जा सके।
- ✓ प्रशिक्षण कक्ष में स्मार्ट टीवी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- ✓ प्रशिक्षण स्थल का शैक्षणिक वातावरण समुचित एवं प्रेरणादायक हो।
- ✓ प्रशिक्षक जिले के उत्कृष्ट उदाहरण (Good Practices) समय–समय पर साझा करें।
- ✓ प्रत्येक सदस्य को उनके कार्य, दायित्व एवं विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी हेतु पम्पलेट/सहायक सामग्री प्रदान की जाए।
- ✓ प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में सदस्यों को विद्यालय के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण (Vision) हेतु प्रेरित किया जाए।

प्रशिक्षकों के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें

- स्वयं को प्रशिक्षक के बजाय प्रतिभागी मानें और प्रशिक्षण के दौरान सदैव प्रतिभागियों के साथ समान स्तर पर बैठें।
- संवाद में 'हम' या 'हमलोग' जैसे समावेशी शब्दों का प्रयोग करें। 'मैं' या 'तुम' जैसे विभाजनकारी शब्दों से यथासंभव बचें।
- प्रशिक्षण ससमय, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संचालित करें।
- सभी प्रतिभागियों के विचारों का सम्मान करें। उनके विचारों का विरोध करने के बजाय, उन्हें सकारात्मक और सहजता से विश्लेषित करें।

- अनावश्यक वाद-विवाद या अनुत्पादक प्रश्न-उत्तर से बचें।
- बोलने की अपेक्षा अधिक सुनने का प्रयास करें, ताकि प्रतिभागियों की भागीदारी और समझ बढ़े।
- हर परिस्थिति में समुदाय और विशेषकर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें।
- चर्चाओं में सभी प्रतिभागियों को सम्मिलित करें, जिससे उनकी प्रतिभा और विचार सामने आ सकें।
- 'आदेश' या 'निर्देश' जैसे शब्दों का प्रयोग पूरी तरह से टालें, ताकि प्रशिक्षण संवादात्मक और सहभागी बना रहे।
- प्रशिक्षण को रोचक और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मनोरंजक एवं उपयोगी खेलों का समावेश करें।
- यदि प्रशिक्षण के दौरान कोई अतिथि या बाहरी व्यक्ति उपस्थित हो, तो उन्हें सम्मान दें, परंतु उनसे कोई औपचारिक भाषण या उपदेश न दिलवाएँ।

प्रशिक्षण विधियाँ

प्रशिक्षण के दौरान विषय-वस्तु के साथ-साथ प्रशिक्षण की पद्धति और प्रक्रिया का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाया जा सकता है।

प्रशिक्षण विधियाँ (संक्षिप्त रूप)

- एकतरफा संवाद कम रखें, सहभागिता बढ़ाएँ।
- संक्षिप्त, सारगर्भित व्याख्यान दें।
- विषय को रोचक बनाने हेतु वीडियो, चित्र, रोल प्ले, प्रश्नोत्तर आदि का प्रयोग करें।
- छोटे समूहों में चर्चा, प्रस्तुति और विचार-विमर्श कराएँ।
- संवाद, विचार-मंथन, प्रतीकात्मक खेल, केस स्टडी, गीत-नाटक जैसी रचनात्मक विधियाँ अपनाएँ।
- स्वयं कार्य (Self Activity) के अवसर दें।
- वीडियो, चित्र, रोल प्ले और प्रश्नोत्तर जैसी विधियों का प्रयोग करें।

प्रथम दिवस – प्रथम सत्र

दिवस	: प्रथम
सत्र	: प्रथम
अवधि	: 1 घंटा 20 मिनट
समय	: 10 : 00–11 : 20 पूर्वा0
विषय वस्तु	: निबंधन, चेतना सत्र, परिचय एवं प्री–टेस्ट

उद्देश्य :

- प्रतिभागी एक–दूसरे को जान सकेंगे।
- साधनसेवी प्रतिभागियों के पूर्वज्ञान से अवगत हो सकेंगे।

सामग्री :

- निबंधन पंजी, कलम, नोट बुक, संसाधन हस्त पुस्तिका इत्यादि।

- **प्रक्रिया :**

- निबंधन के बाद साधनसेवी सभी प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए प्रशिक्षण कक्ष में चेतना सत्र संपादित करेंगे।
- साधनसेवी सभी प्रतिभागियों को एक गोले में खड़े होने का निर्देश देंगे।

गतिविधि:

- साधनसेवी सभी प्रतिभागियों को गतिविधि की जानकारी देते हुए एक प्रतिभागी से स्वयं शुरुआत करवाएंगे।
- सभी प्रतिभागी इस दौरान लगातार ताली बजाते रहेंगे। ताली रुकते ही साधनसेवी का सवाल होगा – ब्लू शर्ट वाले भैया / हरे ड्रेस वाली बहना अपना नाम तो बता।
- प्रतिभागी अपना नाम बताएँगे और फिर अपने बगल वाले प्रतिभागी से उसके पहनावे इत्यादि के आधार पर बोलते हुए वही गतिविधि दुहराकर उसका नाम पूछेंगे। इस दौरान सभी प्रतिभागी ताली बजाते रहेंगे।
- यह क्रम अंतिम प्रतिभागी तक चलता रहेगा।

निष्कर्ष:

- साधनसेवी सभी प्रतिभागियों को यह बताएँगे कि अब तक आपके पहनावे आदि से आपको जाना जा रहा था, लेकिन अब सभी लोग आपको आपके नाम से जान चुके हैं।

प्री–टेस्ट:

- साधनसेवी सभी प्रतिभागियों को प्रश्न–सह–उत्तर पत्रक देते हुए स्पष्ट निर्देश देंगे कि इसके एक ही पृष्ठ का इस्तेमाल करना है दूसरी तरफ का नहीं।
- साधनसेवी घूम–घूम कर उस पर तिथि अंकित करेंगे।
- उत्तर पूरा होने के बाद साधनसेवी सभी प्रश्न–सह–उत्तर पत्रक को एकत्रित कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।

प्रथम दिवस – द्वितीय सत्र

दिवस	: प्रथम
सत्र	: द्वितीय
अवधि	: 1 घंटा 30 मिनट
समय	: 11 : 30 पूर्वा0– 1 : 00 अप0
विषय वस्तु	: मेरे सपनों का विद्यालय

उद्देश्य :

- प्रतिभागियों के बीच एक आदर्श विद्यालय की परिकल्पना रखना।
- प्रतिभागियों को NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में एक आदर्श विद्यालय बनाने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय से अवगत कराना।

सामग्री :

- आवश्यक वस्तुएँ A4 आकार का कागज, कलम, स्केच, चार्ट पेपर इत्यादि।

- **प्रक्रिया :**
  - गतिविधि के माध्यम से

गतिविधि–1

उद्देश्यः इस गतिविधि का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के बीच एक आदर्श विद्यालय की परिकल्पना के हेतु एक भूमिका निर्माण करना है।

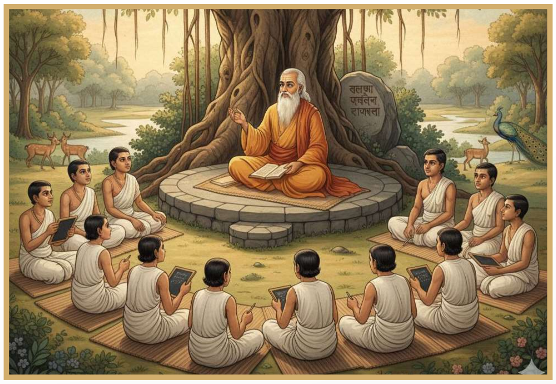

प्रशिक्षक गुरुकुल प्रणाली की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के दौरान गुरुकुल पूरी तरह समाज पर निर्भर था।

फिर प्रशिक्षक प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे। प्रशिक्षक फिर प्रशिक्षुओं से एक प्रश्न पूछेंगे कि –

1. शिक्षा की कौन–सी प्रणाली अच्छी है?

   यदि प्रतिभागी कहते हैं कि गुरुकुल शिक्षण प्रणाली बेहतर थी, तो प्रशिक्षक उनसे पूछेगें कि वे कौन से कारण हैं, जिनके कारण उन्हें लगता है कि गुरुकुल शिक्षण प्रणाली बेहतर थी? प्रतिभागी अलग–अलग उत्तर दे सकते हैं जैसे कि –

   - छात्र वहाँ रहते थे, कोई विकर्षण नहीं था।
   - छात्र सब कुछ स्वयं करके सीखते थे।
   - अन्यान्य

प्रशिक्षक बातचीत का नेतृत्व करेंगे कि गुरुकुल प्रणाली राजाओं पर निर्भर नहीं थी बल्कि वे स्वायत्त निकाय थे और उन्हें सार्वजनिक धन से चलाया जाता था। इसलिए सामुदायिक सहयोग ने गुरुकुल प्रणालियों को फलने–फूलने में सक्षम बनाया।

इसके बाद अगला प्रश्न होगा–

2. क्या अपने विद्यालयों के मापदंड को हमेशा के लिए बदल देना चाहिए?
   कुछ लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह बदल देना चाहिए तो इस पर प्रशिक्षक उन्हें समझायेंगे कि ऐसा करना अभी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा मुश्किल है।
   फिर कुछ लोग कहेंगे कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न पूछा जायेगा–
3. क्या वर्त्तमान विद्यालयों के संचालन के तरीके में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है? यदि हाँ तो वे क्या होंगे?
   प्रशिक्षुओं के द्वारा बताये गये बदलाव को प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे तथा कुछ सुझाव के बिंदु अपनी तरफ से भी जोड़ेंगे।
   प्रत्येक गतिविधि के बाद सपनों के विद्यालय के मानकों की चर्चा प्रशिक्षकों द्वारा की जायेगी।

गतिविधि–2

उद्देश्य: इस गतिविधि का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के बीच उनके परिकल्पनाओं के विद्यालय एवं वास्तविक विद्यालय के बीच अंतर को समझना है।

प्रशिक्षक तुलनात्मक चित्र दिखाएंगे, जिसमें दो चित्र होंगे – एक प्रबंधित विद्यालय बनाम एक कुप्रबंधित विद्यालय, एक सुव्यवस्थित विद्यालय बनाम एक अव्यवस्थित विद्यालय और एक स्वच्छ विद्यालय बनाम एक विद्यालय जहाँ कोई सफाई नहीं है।

आपका विद्यालय कैसा हो?

इन चित्रों को दिखाने के बाद प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं से फिर से पूछेगें कि वे अपने समाज और छात्रों के लिए किस तरह के विद्यालय की कल्पना करते हैं?

इसके बाद प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को संख्या के अनुसार 5 से 6 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। उनसे कुप्रबंधित विद्यालय, अव्यवस्थित विद्यालय और अन्य मुद्दों के कारणों पर विचार करने और चर्चा करने

आपके विद्यालय में कार्य कैसे हो?

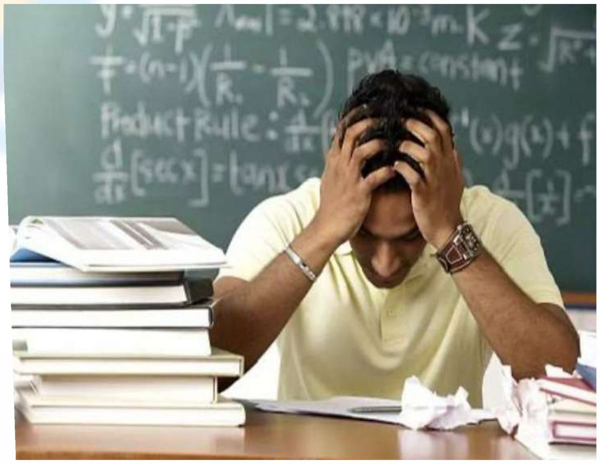

1

2

आपके विद्यालय की व्यवस्था कैसी हो?

1

2

के लिए कह सकते हैं, जो वे उन विद्यालयों में देखते हैं जिनमें वे विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) के सदस्य हैं। इसके बाद प्रशिक्षक विभिन्न समूहों से अवलोकन बिंदु प्राप्त करेगें और उनके दृष्टिकोणों का सारांश बताएँगे। आइये हम सब मिलकर देखें कि हमारे ही राज्य में स्थित एक ऐसा विद्यालय है जिसने विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अपने विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलवाई हैं।

गतिविधि–3

उद्देश्य: इस गतिविधि का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समझ विकसित करना है।
प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं से प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप जानते हैं कि सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया है?
प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को NEP 2020 और NCF 2023 में प्रस्तुत विचारों को संक्षेप में साझा करेंगे।
जैसे कि –

1. शिक्षा की मूल संरचना को 5+3+3+4 में बदल दिया गया है।
2. स्कूल को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित किये जाने का प्रावधान है।
3. राज्यभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का एकीकरण करने पर विशेष बल दिया गया है।
4. शिक्षार्थियों को अनुभवात्मक तरीके से और करके सीखना चाहिए।
5. स्कूली शिक्षा में ही छात्रों के लिए व्यावसायिक कौशल सीखना आवश्यक है।

प्रशिक्षक एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें समाज/समुदाय के विभिन्न सदस्यों के संयुक्त प्रयासों के कारण एक विद्यालय विकसित और समृद्ध हो रहा है।
प्रशिक्षक चित्र भी दिखा सकते हैं जो दर्शाता है कि यदि एक टीम एक साथ काम करती है तो उनका विद्यालय हमेशा विकसित होगा तथा उनका विद्यालय NEP 2020 और NCF 2023 के अनुरूप हो पायेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षक उनसे एक प्रश्न पूछेंगे कि–

1- VSS सदस्य के रूप में आप अपने विद्यालय में ऐसे कौन–कौन से मानक स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, जिससे आपका विद्यालय आपके सपनों के विद्यालयों जैसा बन जाय?
2. प्रशिक्षक इसके लिए उन्हें निम्नलिखित प्रश्न के साथ चर्चा करने के लिए समय दे सकते हैं जैसे कि–

I- क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय का साफ–सुथरा होना आवश्यक है?
ii- क्या एक आदर्श विद्यालय होने के लिए विद्यालय में आधारभूत संरचना का होना आवश्यक है?
iii- क्या एक आदर्श विद्यालय के लिए विद्यालय में शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के बीच एक सामंजस्य होना आवश्यक हैं?
iv- क्या एक उन्नत तथा विकसित विद्यालय होने के लिए विद्यालय में समावेशी माहौल का निर्माण किया गया है?
v- क्या हमने विभिन्न परिवेशों, विभिन्न आर्थिक स्तर तथा सबसे अहम् विशेष जरुरत वाले छात्र (दिव्यांग छात्रों) के लिये स्वागत योग्य वातावरण का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई है?

मूल्यांकन:

1. प्रशिक्षु विद्यालय और छात्रों के विकास और वृद्धि में विद्यालय शिक्षा समिति (प्रधानाध्यापक सहित) के सदस्यों की भूमिकाओं के बारे में क्या सोचते हैं?
2. क्या वे जानते हैं कि उनके आस–पास का सबसे अच्छा विद्यालय कौन–सा है और क्या वे उन कारणों पर चर्चा कर सकते हैं कि वह विद्यालय क्यों विकसित हो रहा है?

प्रथम दिवस – तृतीय सत्र

दिवस : प्रथम
सत्र : तृतीय
अवधि : 1 घंटा
समय : 2 : 00–3 : 00 अप0
विषय वस्तु : विद्यालय शिक्षा समिति– एक परिचय

उद्देश्य : विद्यालय शिक्षा समिति का औचित्य, संरचना, चयन, बैठक, त्याग पत्र/ हटाना, विघटन एवं पुनर्गठन के बारे में जान पाएँगे।

प्रक्रिया : भोजनावकाश के बाद सभी प्रतिभागी सदन में उपस्थित होंगे और साधनसेवी उनका पुनः स्वागत करेंगे।

गतिविधि–1

साधनसेवी प्रतिभागियों को एक वीडियो क्लिप दिखाएँगे।

(विद्यालय शिक्षा समिति का महत्व)

वीडियो पर चर्चा के बिन्दु–

1.आपको वीडियो कैसा लगा?
2.आपने वीडियो में क्या देखा?
3.वीडियो में छात्रा की माँ विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्य क्यों नहीं बनना चाह रही थी?
4.बाद में वह कैसे तैयार हो गई?

गतिविधि–2

गतिविधि "मैं कौन"

प्रक्रिया : सभी प्रतिभागी को साधनसेवी एक गोले में खड़ा होने का निर्देश देंगे। अब साधनसेवी एक प्रतिभागी से बोलेंगे कि आप किसी अन्य प्रतिभागी से पूछें कि 'आप कौन?'

जवाब आएगा– मैं विमला देवी/पूजा की मम्मी/छोटू की माँ/वकील साहब की पत्नी

यह सिलसिला कुछ अन्य प्रतिभागियों तक चलेगा।

फिर साधनसेवी हस्तक्षेप करते हुए कहेंगे कि "आप विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्य हैं – यह भी आपका एक परिचय है।"

आइए अब हम सब विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) के बारे में विस्तार से जानेंगे।

औचित्य: विद्यालय के समग्र विकास हेतु विद्यालय के पोषक क्षेत्र के समुदाय से अपने क्षेत्र के बच्चों के चहुँमुखी विकास हेतु विद्यालय शिक्षा समिति का निर्माण किया जाता है। इस समिति में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताएं सदस्य के रूप में शामिल होकर विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु अपना योगदान देती हैं।

संरचना: समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 17 होगी जिसमें कम से कम 50% भागीदारी अध्ययनरत बच्चों की माताओं की होगी। समिति के सदस्य निम्नवत होंगे –

(i) वार्ड सदस्य (पदेन अध्यक्ष) – 01
(ii) प्रधानाध्यापक – 01
(iii) पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं की माताएँ – 02
(iv) अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं की माताएँ – 02
(v) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं की माताएँ – 02
(vi) सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओं की माताएँ – 02
(vii) निःशक्त बच्चे की माता – 01
(viii) जीविका/महिला समाख्या की सदस्य – 02
(ix) बाल संसद– 01
(x) मीना मंच– 01
(xi) वरीय शिक्षक– 01
(xii) जमीन दाता (यदि हों)– 01

नोट–

- संकुल समन्वयक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित रहेंगे।
- वही माताएं समिति के सदस्य हेतु पात्र होंगी जिनके बच्चों की उपस्थिति पूर्व कक्षा में 50% से अधिक हो।
- किन्तु कक्षा I के छात्र–छात्रा की माता को इससे मुक्त रखा गया है।

चयन प्रक्रिया :

- विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा UCRC/CRC के संकुल समन्वयक की सहमति से सूचना पंजी के माध्यम से एक आम सभा बुलाई जाएगी जिसमें विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के माता–पिता/अभिभावक शामिल होंगे।
- बैठक में संकुल समन्वयक की उपस्थिति में सर्वसम्मति या बहुमत से सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।
- इन्हीं चयनित सदस्यों में से किसी एक का सर्वसम्मति या बहुमत से सचिव पद हेतु चयन किया जाएगा।
- तत्पश्चात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा।
- वार्ड सदस्य इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। (साधनसेवी इसकी चर्चा संक्षेप में करेंगे)
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा समिति के सभी सदस्यों का ई –शिक्षा कोष पर निबंधन अनिवार्य रूप से करा दिया जाए अन्यथा शिक्षा समिति मान्य नहीं होगा।

बैठकः

- अध्यक्ष की अनुमति से सचिव के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार तिथि निर्धारित कर समिति की बैठक बुलाई जाएगी।
- अगर तीन माह तक अध्यक्ष अनुमति नहीं देते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे सचिव को बैठक बुलाने की अनुमति का पत्र दें।
- अध्यक्ष के द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने पर उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्षता के लिए चुना जा सकता है।
- बैठक कम–से–कम एक घंटा होनी चाहिए एवं सभी सदस्य ससमय उपस्थित रहें।
- दो–तिहाई सदस्यों से कम उपस्थिति पर बैठक अमान्य होगी, परन्तु उसी एजेंडा के लिए अगर दूसरी बार बैठक बुलाई जा रही है और सदस्यों की संख्या पूरी नहीं हो रही है तो इस स्थिति में उस एजेंडा के लिए बैठक का निर्णय मान्य होगा।)

त्यागपत्र / हटानाः

- यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित कर्मी की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित कर उसकी सदस्यता खत्म कर दी जायगी।
- तद्नुरूप नियमानुसार उसी कोटि से आम बैठक के द्वारा सर्वसम्मति या बहुमत से एक सदस्य का चुनाव शेष कार्यकाल के लिए किया जाएगा।
- इसी तरह किसी सदस्य के त्यागपत्र देने पर अध्यक्ष के द्वारा दो दिनों के अन्दर संपुष्टि करने और पाँच दिनों के अंदर वापस नहीं लेने पर उसका त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्त विधि से शेष समय के लिए किसी अन्य सदस्य का उसी कोटि से चयन किया जा सकेगा।

विघटनः

- विद्यालय शिक्षा समिति अगर विद्यालय हित में कार्य नहीं कर रही है तो सरकार वर्तमान समिति को विघटित करते हुए नई समिति का गठन करने का विनिश्चय कर सकेगी । सरकार ऐसा विनिश्चय जिला शिक्षा पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / जिला पदाधिकारी एवं अन्य के प्रतिवेदन के आधार पर कर सकेगी ।

पुनर्गठनः

तीन वर्ष का सत्र समाप्त होने के पूर्व नए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन कर लेंगे। समय से पूर्व विघटन की स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति से शेष अवधि के लिए विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है।

असंतुष्ट होने पर गठन संबंधी याचिका 15 दिन के अंदर दायर करना होगा, अन्यथा यह शिकायत या दायर याचिका मान्य नहीं होगा। दायर याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर इसका निपटारा करना अनिवार्य है।

तत्पश्चात साधनसेवी सभी प्रतिभागियों से उनके इस सत्र में उनकी समझ को जानने के लिए एक दो प्रश्न करेंगे।

(QR Code_VSS Notification)

प्रथम दिवस – चतुर्थ सत्र

दिवस	: प्रथम
सत्र	: चतुर्थ
अवधि	: 1 घंटा 30 मिनट
समय	: 3 : 00–4 : 30 अप0
विषय वस्तु	: विद्यालय शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व

उद्देश्यः सत्र संचालन के उपरान्त प्रतिभागी विद्यालय शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व के बारे में जान पायेंगे।

सामग्रीः चार्ट पेपर, खल्ली, डस्टर, फोटो, छोटा कार्टून, गुड्डा एवं गुडिया।

प्रक्रियाः गतिविधि के माध्यम से सत्रारंभ

गतिविधि–1

सभी प्रतिभागियों को गोल घेरे में खड़ा कराकर निम्न गतिविधि करायेंगे– साधनसेवी एक कविता हावभाव के साथ पहले स्वयं करें फिर सभी प्रतिभागियों से दुहराने हेतु अनुरोध करेंगे–

किसान देखिए कीजिए नमस्ते,
जो धरती से अन्न उपजाए।
डॉक्टर देखिए कीजिए नमस्ते,
जो रोगों को दूर भगाए।
पुलिस देखिए कीजिए नमस्ते,
जो चोरों को सजा दिलाए ।
डाकिया देखिए कीजिए नमस्ते,
जो घर–घर में पत्र पहुँचाए।
फायर मैन को कीजिए नमस्ते,
जो जलने से हमें बचाए।
शिक्षक देखिए कीजिए नमस्ते,
जो घर–घर शिक्षा पहुँचाए।।

उक्त सभी हमारे सहयोगी हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। सभी कामगार के कुछ कार्य एवं दायित्व है। ठीक उसी प्रकार विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) जो विद्यालय के कार्यों में सहयोग के लिए बनाई गई है, उसके भी कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व हैं, जो निम्नवत् है–

- अनुश्रवण –
  - ➢ विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण
    - ○ विद्यालय समय से खुलना व बंद होना,
    - ○ बच्चों एवं शिक्षकों कीससमय उपस्थिति
    - ○ समय–सारणी के अनुसार वर्ग संचालन
    - ○ वर्ग संचालन से संबंधित संसाधनों का समुचित उपयोग (FLN किट, गणित किट, विज्ञान किट इत्यादि)
  - ➢ पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का अनुश्रवण
    - ○ पीएम पोषण शक्ति निर्माणयोजना हेतु निर्णय लेना और पर्यवेक्षण करना।
    - ○ पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना में स्वच्छता।
    - ○ पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का वितरण।
  - ➢ स्कूल के साफ–सफाई से सम्बंधित वर्गीकृत कार्यों का अनुश्रवण
    - ○ नामांकन के अनुसार शौचालयों की संख्या पर्याप्त है या नहीं?
    - ○ यदि नहीं हैं तो क्या इसे विद्यालय विकास योजना (SDP) में अंकित किया जाए।
    - ○ शौचालय क्रियाशील है अथवा नहीं (पानी की व्यवस्था है या नहीं/वेंटिलेशन है या नहीं, हाथ धोने के लिए साबुन/हैण्डवाश है अथवा नहीं)
    - ○ शौचालय के बाहर शौचालय के उपयोग से सम्बंधित बिन्दुओं वाला पोस्टर लगा हुआ है या नहीं?
    - ○ माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (साबुन, नैपकिन, वेंडिंग मशीन, इंसीनेटर, न्यूज पेपर, डस्टबीन) की व्यवस्था है या नही।

गतिविधि–2

एक छोटा कार्टून लेकर 3–4 मीटर की दूरी से उस कार्टून में गुड्डे/गुड़िया को कार्टून में उछालकर डालना। यहाँ कार्टून को विद्यालय एवं गुड्डे/गुड़िया को छात्र–छात्राओं से जोड़कर विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) के अगले कार्य पर चर्चा करेंगे।

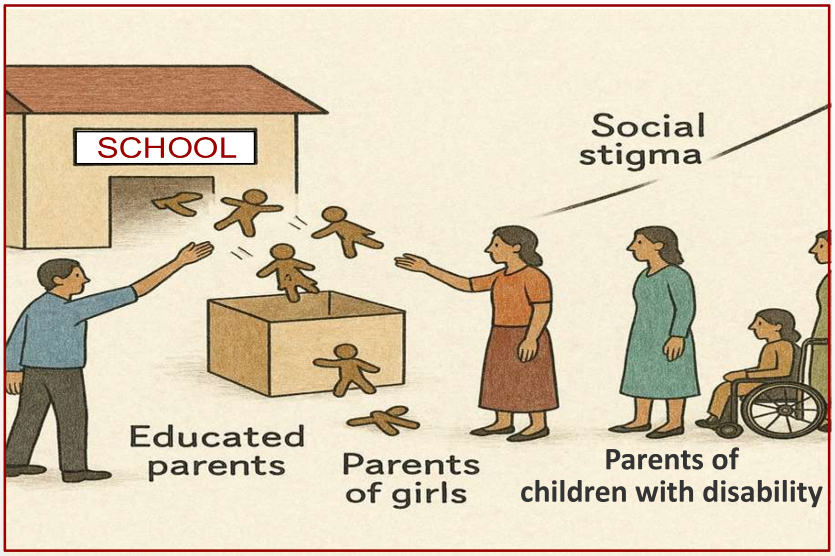

नोट–

- साधनसेवी चर्चा करें कि, कुछ बच्चा आसानी से विद्यालय चला आता है जबकि दिव्यांग, छात्राएं, अत्यधिक दूरी वाले बच्चे, समस्याग्रस्त बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं।
- पोषक क्षेत्र के 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं उनकी शत–प्रतिशत उपस्थिति एवं ठहराव की जवाबदेही विद्यालय शिक्षा समिति की है।

उपयोग :

- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विद्यालय निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- आवश्यकता के अनुसार समुदाय, जनप्रतिनिधि या सरकार से अतिरिक्त निधि प्राप्त करना।

अपेक्षा :

- विद्यालय में मरम्मति कार्य, भवन निर्माण, साफ–सफाई, स्वच्छता इत्यादि कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना एवं सहयोग करना।
- विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करना एवं उसमें सभी सदस्यों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM) के आयोजन में सहयोग एवं सहभागिता
- शिक्षक द्वारा यथासंभव गैर–शैक्षणिक कार्य ना किया जाए यह सुनिश्चित करना।
- बच्चों के साथ प्रताड़ना, अपमान अथवा भेद–भाव ना हो यह सुनिश्चित करना।

सहयोग :

- शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना का निर्माण करवाना।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से विद्यालय विकास योजना को जिला स्तरीय कार्यालय को भेजना ।
- विद्यालय विकास योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करना ।
- वर्ग संचालन में सहयोग करना।

मूल्यांकन :

- विद्यालय शिक्षा समिति के किसी एक कार्य पर चर्चा करें।
- अपने पोषक क्षेत्र के बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) क्या सहयोग कर सकता है?
- वर्ग संचालन में विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) कैसे सहयोग कर सकती है?

द्वितीय दिवस – प्रथम सत्र

दिवस	: द्वितीय
सत्र	: प्रथम
अवधि	: 1 घंटा 20 मिनट
समय	: 10 : 00–11 : 20 पूर्वा0
विषय वस्तु	: चेतना सत्र, पिछले दिवस की पुनरावृत्ति तथा बिहार सरकार द्वारा विद्यालयी छात्र–छात्राओं के लिए मुख्य योजनाएँ

उद्देश्य: विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी देकर VSS सदस्यों और शिक्षकों को प्रेरित करना ताकि वे अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ें और योजनाओं का लाभ दिलाएँ।

सामग्री: चार्ट पेपर, मार्कर

प्रक्रिया:

- आपके अनुसार स्कूलों में कौन–कौन सी योजनाएँ चल रही हैं?
- खुली चर्चा करें और चार्ट पर प्रतिक्रिया नोट करें।
- अब देखते हैं कि आपने जो योजनाएँ बताई हैं, वे स्कूलों में चल रही हैं या नहीं। हम स्कूलों में चल रही अन्य योजनाओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे।

बिहार सरकार द्वारा विद्यालयी छात्र–छात्राओं के लिए मुख्य योजनाएँ

मुख्यमंत्री साइकिल योजना (बालिका/बालक)

- **प्रारंभ** : 2006 (पहले केवल बालिकाओं के लिए)
- **लाभार्थी** : कक्षा 9 में नामांकित छात्र एवं छात्राएं
- **लाभ** : ₹3,000 – ₹3,500 की सहायता राशि
- **उद्देश्य** : विद्यालय तक आने में सुविधा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

मुख्यमंत्री पोशाक योजना

- **लाभार्थी** : कक्षा 1 से 12 तक के छात्र एवं छात्राएं
- **लाभ** :
  - कक्षा 1–5: ₹600
  - कक्षा 6–8: ₹700
  - कक्षा 9–12: ₹1,000
- **उद्देश्य** : समान ड्रेस व आत्मविश्वास बढ़ाना

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना (MDM)

- **लाभार्थी** : कक्षा 1–8 के छात्र एवं छात्राएं
- **लाभ** : प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन
- **उद्देश्य** : उपस्थिति बढ़ाना, कुपोषण कम करना, शिक्षा से जोड़े रखना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

- **लाभार्थी** : 12वीं पास अविवाहित छात्राएं
- **लाभ** : ₹25,000 की एकमुश्त राशि
- **उद्देश्य** : बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह में कमी

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना

- **लाभार्थी** : आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्र एवं छात्राएं
- **लाभ** : 10वीं/12वीं (BSEB) में अच्छे अंक पर छात्रवृत्ति
- **उद्देश्य** : मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (इंटर/मैट्रिक)

लाभार्थी : मैट्रिक/इंटर में प्रथम श्रेणी से पास छात्र एवं छात्राएं
लाभ :

मैट्रिक पास : ₹10,000
इंटर पास : ₹15,000

उद्देश्य : मेहनत व उत्कृष्टता को सम्मान
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

लाभार्थी : 12वीं पास छात्र एवं छात्राएं
लाभ : ₹4 लाख तक शैक्षणिक ऋण (बिना गारंटी)
उपयोग : सामान्य/व्यावसायिक/ तकनीकी उच्च शिक्षा हेतु
</td>
</tr>
<tr>
<td>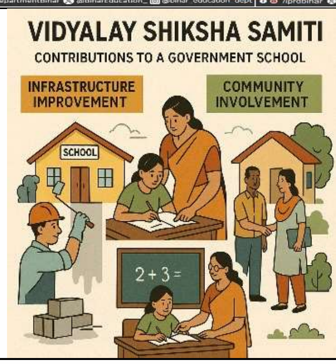
</td>
<td>विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा सहायता

लाभ : विद्यालय को वार्षिक सहायता राशि
उपयोग : स्टेशनरी, सफाई, मरम्मत जैसी जरूरतों के लिए
बन्धन : योजना का संचालन अभिभावकों व शिक्षकों की समिति द्वारा
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) – दिव्यांग बच्चों के सन्दर्भ में (CwSN)</td>
</tr>
<tr>
<td>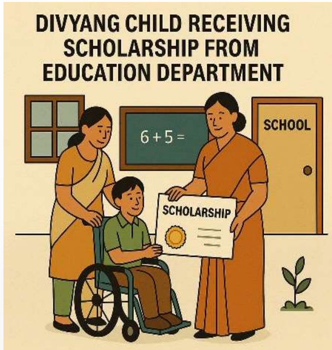
</td>
<td>वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) – दिव्यांग बच्चों के सन्दर्भ में (CwSN)
रीडर भत्ता (Reader Allowance) – दृष्टिबाधित छात्रों हेतु)

लाभार्थी : दृष्टिबाधित (VI) या अल्प दृष्टि (Low Vision) वाले
छात्र : प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक
राशि: ₹200 प्रति माह × 10 माह = अधिकतम ₹2,000 प्रति वर्ष
</td>
</tr>
</table>

 	बालिका छात्रवृत्ति (Stipend for Girls) • **लाभार्थी** : प्री–प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एवं उच्चतर सेकेंडरी स्तर पर पढ़ने वाली बालिकाएं • **राशि** : ₹200 प्रति माह × 10 माह = अधिकतम ₹2,000 प्रति वर्ष
 	अनुरक्षण भत्ता (Escort Allowance) • **लाभार्थी** : शारीरिक रूप से अक्षम (Orthopedically Impaired) छात्र जो स्कूल आने–जाने में असमर्थ हैं (प्राथमिक स्तर तक) • **राशि** : ₹300 प्रति माह × 10 माह = अधिकतम ₹3,000 प्रति वर्ष
 	परिवहन भत्ता (Transport Allowance) • **लाभार्थी** : वे छात्र जो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ते हैं और स्वयं विद्यालय आने–जाने में असमर्थ हैं • **राशि** : ₹200 प्रति माह × अधिकतम 5 माह = अधिकतम ₹1,000 प्रति वर्ष
 	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना • **लाभार्थी** : कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र
 	किशोरी स्वास्थ्य योजना • **लाभार्थी** : कक्षा 7 से 12 तक की छात्राएं • **राशि** : ₹150 प्रति वर्ष

निष्कर्षः बिहार सरकार की ये सभी योजनाएँ विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभकारी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर या दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन योजनाओं ने राज्य में छात्र नामांकन दर और बालिका शिक्षा को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है।

द्वितीय दिवस – द्वितीय सत्र

दिवस	: द्वितीय
सत्र	: द्वितीय
अवधि	: 1 घंटा
समय	: 11 : 30 पूर्वा0–12 : 30 अप0
विषय वस्तु	: अपने विद्यालय को जानें

उद्देश्य: विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) के सदस्यों में विद्यालय के संचालन एवं पठन–पाठन की समझ विकसित करना

सामग्री: मूल्यांकन / फीडबैक– कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा

प्रक्रिया: खुली चर्चा करें और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को चेकलिस्ट के बारे में बताएं। (अपने विद्यालय को जानें)

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य द्वारा चेक लिस्ट प्रपत्र

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य का नाम : ....

विद्यालय का नाम : ....

यू डाइस कोड : .... दिनांक : ....

संकुल केन्द्र : .... प्रखण्ड : ....

क्रम	चेक लिस्ट	✓	✗	विशेष कथन
1	क्या विद्यालय ससमय खुलता और बंद होता है?			
2	क्या विद्यालय में समय से घंटी बजती है?			
3	क्या विद्यालय के चेतना सत्र में सभी शिक्षक–शिक्षिकाएं और छात्र–छात्राएं उपस्थित रहते हैं?			
4	क्या विद्यालय में बाल संसद है?			
5	क्या विद्यालय में मीना मंच है?			
6	क्या विद्यालय में यूथ क्लब और इको क्लब है?			
7	क्या विद्यालय की वर्गकक्ष की दीवारें पुस्तकों, चित्रों, कैलेण्डरों, खेल खिलौनों (TLM) से सजा हुआ है?			
8	क्या शिक्षक पढ़ाने के दौरान चित्रों, कैलेण्डरों, खेल खिलौनों (TLM) का इस्तेमाल करते है।			
9	क्या विद्यालय के पुस्तकालय का उपयोग होता है?			
10	क्या विद्यालय में बुधवार को बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है?			
11	क्या विद्यालय में शनिवार को आपदा से बचाव और प्रबंधन के बारे में बताया जाता है?			
12	क्या शनिवार के दिन बच्चे चित्र, डिजाइन, कला, संगीत, बागवानी आदि करते हैं?			
13	क्या महीने के अंतिम दिनों में मासिक टेस्ट होता है?			
14	क्या शिक्षक–अभिभावक मीटिंग प्रत्येक माह होता है?			
15	क्या सभी बच्चों के पास किताब बैग आदि है?			
16	क्या सभी बच्चे ड्रेस में आते है?			
17	क्या विद्यालय में खेल–कूद की घंटी होती है?			
18	क्या विद्यालय में सुझाव/शिकायत पेटी है?			
19	क्या विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट (दवाएं/बैण्डेज) उपलब्ध है?			
20	क्या बच्चों को सभी विषय की पढ़ाई होती है?			

द्वितीय दिवस – तृतीय एवं चतुर्थ सत्र

दिवस	: द्वितीय
सत्र	: तृतीय एवं चतुर्थ
अवधि	: 3 घंटा 30 मिनट
समय	: 01 : 30 – 05 : 00 अप0
विषय वस्तु	: अपने–अपने विद्यालय का भ्रमण

उद्देश्यः अपने–अपने विद्यालय का प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन

सामग्रीः विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को दिया गया चेकलिस्ट

प्रक्रियाः

- अवलोकन
- प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ चर्चा

गतिविधिः दिए गए चेकलिस्ट के अनुसार विद्यालय का अवलोकन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य निम्न तीन बिन्दुओं पर अपने–अपने विचार रखें–

1. आपको अपने विद्यालय में क्या अच्छा लगा ?
2. आपको अपने विद्यालय में क्या सुधार की जरुरत लगती है ?
3. विद्यालय शिक्षा समिति (VSS) के सदस्य के तौर पर आप किन तीन बिन्दुओं पर पहले तीन माह में काम करना चाहेंगे ?

तृतीय दिवस - प्रथम सत्र

दिवस	: तृतीय
सत्र	: प्रथम
अवधि	: 1 घंटा 20 मिनट
समय	: 10 : 00 – 11 : 20 पूर्वा0
विषय वस्तु	: चेतना सत्र, पूर्व दिवस की पुनरावृति और अपने–अपने विद्यालय के संबंध में चर्चा

उद्देश्यः

- सत्र संचालन के उपरान्त प्रतिभागी अपने–अपने विद्यालय को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
- अवलोकन के महत्त्व को समझ सकेंगे।
- संप्रेषण कौशल बेहतर कर पाएंगे। अपने–अपने विद्यालय का प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन

सामग्रीः विद्यालय भ्रमण के दौरान भरा गया चेक–लिस्ट, खल्ली, डस्टर।

प्रक्रियाः गतिविधि के माध्यम से सत्रारंभ ।

गतिविधिः साधनसेवी चेकलिस्ट के आधार पर प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति के एक–एक सदस्य से पिछले दिवस विद्यालय के अवलोकन के बिन्दुओं पर और देखे गए कार्यों पर अपने–अपने विचार सदन में रखेंगे।

नोट –

- साधनसेवी ध्यान रखेंगे कि चर्चा विषय केन्द्रित रहे। समय का ध्यान रखें ताकि सभी विद्यालय शिक्षा समिति को अपनी बात रखने का मौका मिल सके।
- प्रत्येक सदस्य की चर्चा में साधनसेवी उन कार्यों पर अवश्य फोकस करें जिन कार्यों में समिति या जन–समुदाय का सहयोग प्राप्त कर उसे बेहतर बनाया जा सके।
- इसमें समिति के कार्य एवं दायित्व वाले पार्ट पर फोकस करने की आवश्यकता होगी।

मूल्यांकन :

- आपको अपने विद्यालय में सबसे अच्छा क्या लगा?
- आपके विद्यालय में कौन–सी वह चीज है, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है?
- इन कार्यों में आप विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य होने के नाते कैसे सहयोग करेंगे?

तृतीय दिवस - द्वितीय सत्र

दिवस	: तृतीय
सत्र	: द्वितीय
अवधि	: 1 घंटा 30 मिनट
समय	: 11 : 30 पूर्वा0 – 01 : 00 अप0
विषय वस्तु	: विद्यालय विकास योजना– परिचय एवं निर्माण

उद्देश्य: प्रतिभागियों को विद्यालय विकास योजना प्रपत्र से परिचित कराना एवं योजना निर्माण करने में सक्षम बनाना।

सामग्री: विद्यालय विकास योजना प्रपत्र

प्रक्रिया: साधनसेवी प्रतिभागियों को विद्यालय विकास योजना के मुख्य उद्देश्य को बताते हुए संलग्न प्रपत्र के अनुसार योजना का निर्माण करवाएंगे।

आवश्यक कार्य :

- पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक कक्षा के 3–14 वर्ष तक के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव
- वर्ग सापेक्ष दक्षता
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना
- गाँव में शिक्षा का माहौल एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करवाना

विद्यालय विकास योजना का ग्राम पंचायत विकास योजना में समायोजन

ग्राम पंचायत विकास योजना के 9 थीम में से चार थीम को हम विद्यालय विकास योजना में भी शामिल कर सकते हैं।

ये थीम है–

i. स्वस्थ गाँव (Healthy Village)

ii. बाल अनुकूल गाँव (Child Friendly Village)

iii. स्वच्छ व हरित गाँव (Clean and Green Village)

iv. सामाजिक रूप से न्याय पूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव (Social Justice and Social Safe Village)

i. स्वस्थ गाँव का अर्थ हैः– स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और स्वच्छता को सुदृढ़ करना। इसके अंतर्गत विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, पोषण जागरूकता कार्यक्रम चलाना, बच्चों का टीकाकरण और विद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई को प्राथमिकता देना है।

ii. बाल अनुकूल गाँव का अर्थ हैः–बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना। इसके अंतर्गत विद्यालय से बच्चों के छीजन को रोकना (विशेष कर छात्राओं का), बाल श्रम और बाल विवाह को रोकना, बच्चों के लिए खेल व रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ाना हैं।

iii. स्वच्छ हरित गाँव का उद्देश्यः– पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत विद्यालय में ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाना, विद्यालय के आस पास खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखना एवं प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अभियान को बढ़ावा देना।

iv. सामाजिक रूप से न्याय पूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव का उद्देश्यः– इसके अंतर्गत विद्यालयों में दिव्यांगों एवं लैंगिक समानता के साथ–साथ उनके घरेलू हिंसा और बाल शोषण के विरुद्ध सभी को जागरूक करना है।

इस सन्दर्भ में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यालय विकास योजना का ग्राम पंचायत विकास योजना में समन्वय हो सके।

नोट–

- इस हेतु विद्यालय विकास योजना प्रपत्र विद्यालयवार समूह में देकर उसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए उसे भरवाना।
- विद्यालय विकास योजना के निर्माण में VSS सदस्य होने के नाते आप कैसे सहयोग करेंगे?

विद्यालय विकास योजना का फर्मेट

प्रपत्र - 01			
आधारभूत संरचना संबंधी सूचना			
विद्यालय का नाम -		यूडायस कोड -	
संसाधन	विद्यालय में उपलब्धता	वर्त्तमान संख्या	आवश्यकता
वर्ग कक्ष			
शौचालय			
पेयजल स्रोत			
किचेन शेड			
खेल का मैदान			
विद्युतीकरण			
रैंप (हैंडलयुक्त)			
शौचालयों में प्रवाहित जल की उपलब्धता			
पुस्तकालय कक्ष			
प्रधानाध्यापक कक्ष			
चहारदीवारी			
स्मार्ट क्लास			

प्रपत्र – 02									
वर्गवार नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या									
वर्ग	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	कुल योग
छात्र									
छात्रा									
कुल									

प्रपत्र – 03

एक वर्षीय विद्यालय विकास योजना (आधारभूत संरचना एवं वातावरण निर्माण योजना)

विद्यालय का नाम - | यूडायस कोड -

संसाधन		आवश्यकता	प्रति इकाई लागत	कुल लागत	राशि का स्रोत		निर्माण की अवधि (माह में)	निर्माण का दायित्व
					सरकार	समुदाय		
वर्ग कक्ष								
शौचालय	छात्र							
	छात्रा							
पेयजल								
किचेन शेड								
खेल का मैदान								
विद्युतीकरण								
रैंप (हैंडलयुक्त)								
लगातार प्रवाहित जल								
पुस्तकालय कक्ष								
खेल सामग्री								
मरम्मति								
बिजली बिल								
पोषण वाटिका								
स्वच्छता								
शिक्षण अधिगम सामग्री								
अन्यान्य								

विद्यालय विकास योजना से संबंधित अलग–अलग 13 प्रपत्र नीचे दिए गए QR Code के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

तृतीय दिवस - तृतीय सत्र

दिवस	: तृतीय
सत्र	: तृतीय
अवधि	: 1 घंटा 30 मिनट
समय	: 02 : 00 – 03 : 30 अप0
विषय वस्तु	: अपने–अपने विद्यालय में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा

उद्देश्यः

- सत्र संचालन के उपरान्त प्रतिभागी अपने विद्यालय में चलाए जा रहे कार्यक्रम को समझ पाएंगे।
- कार्यक्रम के महत्त्व को समझ सकेंगे।
- कार्यक्रम की निरंतरता को सुनिश्चित करने में सहयोग कर पाएंगे।

प्रक्रियाः चर्चा के माध्यम से सत्रारंभ

1. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) –

'सुरक्षित शनिवार' बिहार सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–2030) के अंतर्गत शुरू किया गया है । इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और सक्षम बनाना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर शनिवार को विद्यालय के अंतिम घंटे या चेतना सत्र में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह सीखाया जाता है कि प्राकृतिक, मानवजनित तथा स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं एवं सामाजिक कुरीतियों से कैसे सुरक्षित रहा जाए ? इस कार्य हेतु एक वार्षिक कैलेंडर (वैगन व्हील) बनाया गया है जिसमें प्रत्येक माह के अलग–अलग शनिवार को की जाने वाली गतिविधियों को विस्तार से बताया गया है । इस पहल में विशेष जोर बच्चों के कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर दिया जाता है, ताकि वे आपात स्थिति में सही निर्णय ले सकें । इसमें मॉक ड्रिल, आपदा सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन, समूह चर्चा और रोल प्ले जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं । 'सुरक्षित शनिवार' का लक्ष्य है– बच्चों को न सिर्फ आपदा के प्रति सतर्क बनाना, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित समाज और अंततः सुरक्षित बिहार की दिशा में सक्रिय भागीदार बनाना ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास एवं क्षमतावर्धन पर विशेष जोर दिया जाएगा साथ ही विभिन्न आपदाओं से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन एवं उससे संबंधित नियमित अभ्यास कराया जाएगा। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य –

- फोकल शिक्षक विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित करेंगे।
- विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल–संसद आदि की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाया जाएगा।
- विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जाएगा।
- हजार्ड हंट के द्वारा चिह्नित खतरों के संबंध में चर्चा कर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाएगा जिसमें चिह्नित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपाय रहेंगे।
- विद्यालय के प्रत्येक वर्ग से बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ।
- बाल प्रेरकों द्वारा सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार फोकल शिक्षक की सहायता से निर्धारित गतिविधियां प्रत्येक शनिवार को क्रियान्वित की जाएंगी।
- बच्चों को दिए गए ज्ञान एवं कौशल का निरंतर अभ्यास कराया जाएगा।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का समायोजन विद्यालय विकास योजना में किया जाना आवश्यक है।

क्या आप जानते हैं कि फोकल शिक्षक कौन है?

प्रत्येक प्राथमिक अथवा मध्य विद्यालय में सुरक्षित शनिवार के क्रियाकलापों को बच्चों को बताने समझाने के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जिन्हें फोकल, शिक्षक कहा जाता है।

अपने विद्यालय के फोकल शिक्षक का नाम और संपर्क नं० नोट करें।

....

....

क्या आप जानते हैं कि विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते है?

अपने विद्यालय के SDMC के अध्यक्ष का नाम और नं० नोट कीजिए।

....

जरा पता करें–

क्या, आपके विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम संचालन किया जाता है? (हाँ / नहीं)

क्या आपके विद्यालय में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। (हाँ / नहीं)

क्या आपके विद्यालय में बाल प्रेरक का चयन किया गया है? (हाँ / नहीं)

क्या आपके विद्यालय में आपातकालीन निकास योजना तैयार है? (हाँ / नहीं)

क्या आपके क्रियालय में अग्निशामक यंत्र है? (हाँ / नहीं)

क्या आपके विद्यालय में First Aid Box है? (हाँ / नहीं)

क्या आपके विद्यालय में आपदा प्रबंधन योजना तैयार है? (हाँ / नहीं)

नोटः– यदि नहीं तो प्रधानाध्यापक, फोकल, शिक्षक, और, बाल प्रेरकों की सहायता से इसे तैयार कर सही स्थान पर व्यवस्थित करें।

'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम से सम्बंधित मार्गदर्शिका, बाल प्रेरक एवं शिक्षक– प्रशिक्षण की डिजिटल हस्त–पुस्तिका प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन / क्लिक करें–

शिक्षकों– प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका	MSSP बाल प्रेरक हस्त पुस्तिका	MSSP Teachers हस्त पुस्तिका

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम
बिहार सरकार

नोटः–

- किसी माह में पांच शनिवार पड़ने की स्थिति में बच्चों को उस दिन स्वच्छता संबंधित जानकारी दी जाय एवं उसका अभ्यास भी कराया जाय।
- विद्यालय में लंबी छुट्टी होने की स्थिति में बच्चों को गृहकार्य के रूप में वैगन व्हील में वर्णित विषयों का अभ्यास एवं उसपर चर्चा करने संबंधी कार्य दिये जायें।

2. बैगलेस सुरक्षित शनिवार पर सामान्य निर्देश –

- यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8वीं तक (प्राथमिक तथा प्रारम्भिक विद्यालय) के छात्र–छात्राओं के लिए अनिवार्य है। यद्यपि 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्वेच्छा से इन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
- 'बैगलेस सुरक्षित शनिवार' के दिन बच्चे बिना बस्ते के विद्यालय आएंगे। उस दिन वे अपने साथ रंग, कोरे कागज, छोटे खिलौने, बाल पत्रिकाएं आदि ला सकते हैं।
- 'बैगलेस सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 48 गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं, जिन्हें 12 प्रमुख क्षेत्रों (Domain) में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक माह एक विशिष्ट क्षेत्र (Domain) निर्धारित किया गया है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत चार शनिवारों के लिए चार अलग–अलग गतिविधियाँ चयनित की गई हैं।
- सभी गतिविधियों में बच्चों के साथ सुगमकर्ता के रूप में वर्ग शिक्षक/शिक्षिका अनिवार्य रूप से शामिल होंगे एवं उनके कार्यों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करेंगे। 'बैगलेस सुरक्षित शनिवार' की गतिविधियां समग्र प्रगति –पत्रक (Holistic Report Card) के सह–शैक्षिक भाग का एक अभिन्न अंग होगी।
- 'बैगलेस सुरक्षित शनिवार' की गतिविधियों में प्रमुख गतिविधि "अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी/बैठक" (PTM) माह के चौथे शनिवार को आयोजित किया जाना अपेक्षित होगा । जिस दिन PTM आयोजित की जाएगी, उस दिन बैगलेस सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सभी शिक्षण–सामग्रियों, गतिविधियों एवं रचनात्मक कार्यों को विद्यालय परिसर में उचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बच्चों की प्रतिभा को मंच भी मिलेगा और अभिभावकों की सहभागिता भी सशक्त होगी।
- शिक्षा विभाग द्वारा ''बैगलेस'' गतिविधियों के आयोजन हेतु विद्यालयों को विद्यार्थियों की नामांकन संख्या के आधार पर अनुदान राशि प्रदान की जाएगी : 1 से 250 छात्रों वाले विद्यालयों को ₹5000, 251 से 500 छात्रों वाले विद्यालयों को ₹10000, 501 से 1000 छात्रों वाले विद्यालयों को ₹15000 तथा 1000 से अधिक छात्रों वाले विद्यालयों को ₹20000 दिए जाएंगे। इन गतिविधियों के संचालन में 'Best out of Waste' की अवधारणा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अनुपयोगी सामग्री जैसे पुरानी बोतलें, डिब्बे, कपड़े, कागज, प्लास्टिक आदि का रचनात्मक एवं उपयोगी वस्तुओं में पुनः उपयोग किया जाएगा।
- जिस माह में पाँचवाँ शनिवार आएगा उस शनिवार को 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों/गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन/मूल्यांकन किया जाएगा।
- वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए माह मार्च एवं माह सितम्बर में 'बैगलेस सुरक्षित शनिवार' की गतिविधियों का आयोजन वैकल्पिक होगा।

बैगलेस सुरक्षित शनिवार पर सामान्य दिशा निर्देश–

समय	गतिविधि
9:30 से 10 बजे पूर्वाह्न	चेतना सत्र
10:00 से 12:00 बजे पूर्वाह्न	सुरक्षित शनिवार संबंधी गतिविधियाँ
12:00 से 12:40 बजे अपराह्न	मध्याह्न भोजन
12:40 से 4:00 बजे अपराह्न	बैगलेस गतिविधियों का संचालन (माह में पांचवां शनिवार आने की स्थिति में उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा)

बैगलेस सुरक्षित शनिवार

हर शनिवार-रोचक नवाचार

बैगलेस सुरक्षित शनिवार ''वैगन व्हील''

3. स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (School Health & Wellness Program)

- स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (School Health & Wellness Program) का उद्देश्य स्कूलों में एक व्यापक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करना है।
- यह कार्यक्रम वर्त्तमान में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जा रहा है।
- प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षकों, जिनमें प्राथमिक रूप से एक पुरुष और एक महिला शामिल होंगे, को 'स्वास्थ्य और कल्याण दूत' के रूप में नामित किया जाता है।
- प्रत्येक हफ्ते में एक घंटा के लिए आनन्दमयी गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित 11 विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को कवर करने के लिए स्कूली बच्चों के साथ जुड़ते हैं।
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप, इस पहल का उद्देश्य स्कूली वातावरण में स्वास्थ्य और पोषण के निवारक और प्रोत्साहक पहलुओं को मजबूत करके मौजूदा कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) का समर्थन करना है।

4. अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी (Parents Teacher Meeting)–

अभिभावक का विद्यालय से जुड़ाव के लिए विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन विभाग द्वारा निर्धारित शनिवार के दिन किया जाता है।

उद्देश्य : विद्यालय और अभिभावकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग बढ़ाना, ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में दोनों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा सके।

संगोष्ठी के दिन किए जाने वाले कार्यः

- अभिभावकों का स्वागत, परिचय एवं चर्चा
- सर्वप्रथम वर्ग शिक्षक सभी अभिभावकों का स्वागत करेंगे
- स्वागत उद्बोधन के पश्चात अपना परिचय देते हुए शिक्षक सभी अभिभावकों से बारी बारी से परिचय प्राप्त करेंगे (इसके लिए अभिभावकों के साथ कार्ड/पत्ती या अन्य कोई खेल भी खेला जा सकता है)
- अभिभावक का विद्यालय के प्रति क्या अनुभव है, इस बात की जानकारी हेतु शिक्षक अभिभावकों से चर्चा करेंगे।
- विद्यालय भ्रमण एवं अवलोकन
- शिक्षक सभी अभिभावकों को विद्यालय में उपस्थित भौतिक सुविधाओं, जैसे– कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, पिंक रूम, साफ–सुथरे शौचालय व पीने के पानी, पोषण वाटिका, खेल परिसर इत्यादि का अवलोकन कराने हेतु विद्यालय भ्रमण पर ले जाएंगे।
- भ्रमण के दौरान सभी सुविधाओं की उपयोगिता के बारे में अभिभावक को बताएंगे।
- अभिभावकों से व्यक्तिगत चर्चा एवं संगोष्ठी का समापन
  विद्यालय भ्रमण के उपरांत जब सभी अभिभावक पुनः अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएंगे तो प्रत्येक अभिभावक से निम्न बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा की जाएगी।
- बच्चे की अकादमिक प्रगति
- बच्चे की शत–प्रतिशत उपस्थिति
- पोशाक, नाखून, बाल इत्यादि की नियमित साफ–सफाई
- बच्चे का पोषण
- बच्चे का व्यवहार
- बच्चे को घर में पढ़ने हेतु वातावरण का निर्माण
  इन बिंदुओं पर सार्थक संवाद के उपरांत शिक्षक सभी अभिभावकों को विद्यालय आने और अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में सक्रिय सहभागिता देने हेतु धन्यवाद देते हुए संगोष्ठी का समापन करेंगे।

तृतीय दिवस - चतुर्थ सत्र

दिवस	: तृतीय
सत्र	: चतुर्थ
अवधि	: 1 घंटा 20 मिनट
समय	: 03 : 40 – 05 : 00 अप0
विषय वस्तु	: समापन तथा प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिभागियों का फीडबैक प्राप्त करना।

उद्देश्य:

- पोस्ट टेस्ट
- फीडबैक
- प्रमाण पत्र वितरण

प्रक्रिया: मूल्यांकन/फीडबैक–कुछ प्रश्नों के सहारे तथा प्रतिभागियों से संक्षेप में चर्चा

चूँकि यह प्रशिक्षण का अंतिम सत्र है अतः प्रशिक्षण के संबंध में यदि किसी प्रतिभागी को कोई दुविधा रह गई हो तो साधनसेवी उसे दूर करेंगे।

- पिछले तीन दिनों के प्रशिक्षण का साधनसेवी समेकन करेंगे।
- साधनसेवी फीडबैक पत्र की प्रति का प्रिंट पहले से लेकर रखेंगे तथा प्रतिभागियों को फीडबैक प्रपत्र वितरित कर उसे भरने को कहेंगे।
- जो प्रतिभागी साक्षर नहीं हैं तथा फीडबैक प्रपत्र खुद से नहीं भर सकते हैं, उनके फीडबैक प्रपत्र को भरवाने के लिए विद्यालय के किसी छात्र/छात्रा की मदद ली जा सकती है अथवा उनका फीडबैक मौखिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

फीडबैक प्रपत्र (Feedback Form)

दिनांक : ....

विद्यालय का नाम : ....

साधनसेवी का नाम : ....

प्रतिभागी का नाम : ....

1. निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी राय दें (उपयुक्त पर सही का निशान लगाएं)

क्र.	बिंदु	आपकी राय		
		पूरी तरह सहमत	सहमत	सुधार की आवश्यकता
1.	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण मेरे लिए उपयोगी था।			
2.	साधनसेवी द्वारा प्रभावी रूप से प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई।			
3.	साधनसेवी ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बोलने का पूरा अवसर दिया।			

2. आपके विचार (प्रतिभागी स्वयं अथवा प्रशिक्षक / प्रधानाध्यापक द्वारा भी प्रतिभागी से चर्चा कर भरा जा सकता है)

   1 कार्यशाला के दौरान मुझे निम्नलिखित बातें अच्छी लगीं :—

   2 कार्यशाला के दौरान मुझे निम्नलिखित बातें अच्छी नहीं लगीं :—

   3 अन्य सुझाव :

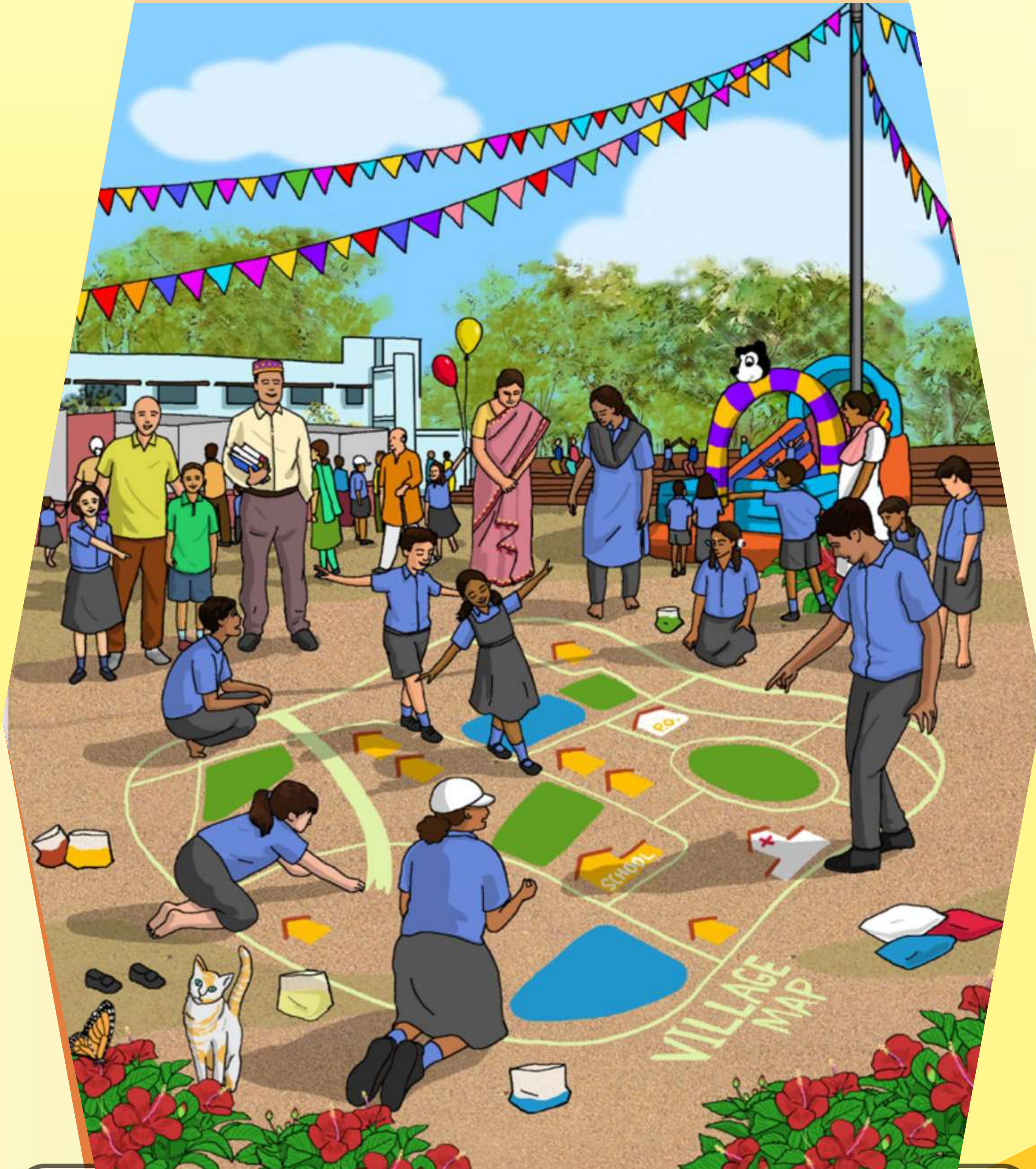

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् शिक्षा भवन,
राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर, सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-800004